कोटा में कार से 1.40 करोड़ कीमत की चांदी की सिल्लियां जब्त

नाकाबंदी में एमपी नम्बर की कार की तलाशी ली तो 49 किलो कच्ची चांदी की सिल्लियां बरामद की

कोटा, (निसं)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी को जब्त किया है। पुलिस टीम द्वारा जब्त की गई चांदी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रूपये बताई गई है।

- **पूछताछ के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देने पर चांदी की सिल्लियां जब्त कर ली, पूछताछ में सिल्लियां गरोठ से कोटा लाना बताया**

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ, बिना टैक्स के कीमती धातुओं की तस्करी की रोकथाम के लिये ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकल्याण मीणा के निर्देशन में कोटा ग्रामीण पुलिस की ओर से ऑपरेशन क्लीन स्वीप विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि उसी अभियान के तहत् वृताधिकारी सांगोद नरेन्द्र जैन के सुपरविजन में कनवास थाने के थानाधिकारी अनूप सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि कनवास थानाधिकारी अनुप सिंह ने गठित टीम द्वारा कनवास तिराहा मोरूकलां पर नाकाबन्दी कर वाहनों की चैकिंग की। नाकाबंदी के दौरान एक एमपी नम्बर की कार को रोककर कार की तलाशी ली तो कार में से 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी की सिल्लियां बरामद की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने जिला मंदसौर के थाना गरोठ के नीलेश्वरी कॉलोनी निवासी आशिष (41) एवं कार में सवार पीरूलाल दोनों से पूछताछ कर दस्तावेज मांगे लेकिन कोई कागज नही देने पर पुलिस टीम ने 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी को जब्त किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि जब्त कि गई चांदी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख है। पुलिस टीम ने जब्त चांदी की कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग व जीएसटी विभाग को दी, चांदी की खरीद-फरोख्त के बारे में अनुसंधान जारी है।

कनवास थानाधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि कार में सवार दोनों से पूछताछ के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देने पर चांदी की सिल्लियां जब्त कर ली है, पूछताछ में सिल्लियां गरोठ से कोटा लाना बताया है।

कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार से कच्ची चांदी की सिल्लियां जब्त की

महिला के गले से मंगल सूत्र लूटा

बीकानेर, (निसं)। नाल पुलिस थाना क्षेत्र में करमीसर से बच्छासर रोड पर बाइक पर सवार दो युवक एक महिला के गले से सोने का मंगल सूत्र छीनकर फरार हो गए। करमीसर निवासी माधुरी देवी और उसकी पुत्री दोनों गांव में बच्छासर रोड पर स्थित सती माता के मंदिर दर्शन करने गई थी। वहां से वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान सामने से दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और अचानक माधुरी देवी के गले पर झपट्टा मारकर उसका मंगल सूत्र छीनकर फरार हो गए। मां-बेटी ने शोर मचाया, लेकिन लुटेरों का पता नहीं चल पाया। करमीसर निवासी कालूराम जाट की ओर से पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उसकी पत्नी का मंगलसूत्र छीनकर ले जाने मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी खंगालने पर बाइक सवार दो युवक भागते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच एएसआई सुभाषचंद्र को सौंपी गई है।

नागौर में 1.35 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए जब्त

- **कार्रवाई में मौके से फरार आरोपी श्रवणराम की पत्नी पूजा विश्नोई को गिरफ्तार किया**
- **11.23 लाख नकद, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा तथा हिसाब रखने वाली दो डायरियां जब्त की**

नागौर, (निसं)। नागौर जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे 'ऑपरेशन नीलकंठ' के तहत नागौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना खींवसर व जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये कीमत का 670 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए, 11 लाख 23 हजार 400 रुपये नकद, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा तथा मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त का हिसाब रखने वाली दो डायरियां जब्त की है। इस कार्रवाई में मौके से फरार आरोपी श्रवणराम की पत्नी पूजा विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी एवं सहायक पुलिस अधीक्षक जतिन जैन (आईपीएस) के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी पुलिस खींवसर रामनारायण भंवरिया मय पुलिस जाब्ता एवं डीएसटी टीम नागौर को 31 जनवरी को गोपनीय सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम गांव पांचलासिद्धा, विश्नोईयों की ढाणी स्थित श्रवणराम विश्नोई के रहवासी मकान पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी श्रवणराम मौके से फरार हो गया, जबकि तलाशी के दौरान मकान के आगे बने बाथरूम में गुप्त स्थान से 670 ग्राम एमडीएमए, इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा नकद 11.23 लाख रुपये बरामद किए गए। साथ ही मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और हवाला लेन-देन से संबंधित लाखों रुपये के हिसाब-किताब वाली दो डायरियां भी जब्त की गई। पुलिस ने मौके से आरोपी की पत्नी पूजा विश्नोई (23) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना खींवसर में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। मामले का अनुसंधान पुलिस थाना कोतवाली नागौर को सौंपा गया है। पुलिस फरार आरोपी श्रवणराम की तलाश में जुटी है तथा मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क की भी गहन जांच की जा रही है।

'यूजीसी कानून को और व्यापक, मजबूत बनाकर लागू किया जाए'

- **डिप्टी सीएम बैरवा को रुक्टा डेमोक्रेटिक ने 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा**

जयपुर। रुक्टा डेमोक्रेटिक ने डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के अलवर आगमन पर स्वागत किया। गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, समतामूलक उच्च शिक्षा हेतु जातिगत भेदभाव पर प्रभावी रोक लगाकर सभी को समान अवसर प्रदान करने वाले यूजीसी कानून 2026 को लागू करवाने एवं शिक्षक हित में 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया। डिप्टी सीएम ने मांगपत्र पर विचार का आश्वासन दिया।

संघ के प्रदेश संयोजक प्रो.रमेश बैरवा ने बताया कि इस 15 सूत्रीय मांगपत्र में मांग की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम 2026 को और स्पष्ट, मजबूत बनाकर लागू करवाने के लिए राज्य सरकार भी जरूरी कदम उठाए। मेडिकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा,आई आई टी, आई आई एम, एम्स जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी ऐसा कानून लागू किया जाए। जातिगत भेदभाव के विभिन्न प्रकारों को जैसा 2012 के यूजीसी के समता संवर्धन के कानून में चिन्हित किया गया था स्पष्ट किया जाए। रोहित एक्ट की मांग के अनुरूप जातिगत भेदभाव को कठोर दंडनीय अपराध बनाया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ शिक्षण संस्थानों में विशेषरूप से नौकरियों में बड़ा भेदभाव है अतः ओबीसी को भी यूजीसी कानून में शामिल किया जाना संविधान सम्मत है। उच्च शिक्षा सहित शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाए ताकि बड़ी संख्या में वर्षों से रिक्त पड़े प्रोफेसर एवं अशैक्षिणक पदों पर भर्ती की जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रिक्त पद 4 माह में भरे जाने का कड़ा निर्देश दिया है। बैकलॉग पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।लाइब्रेरियन, पीटीआई पदों पर भर्ती की जाए। राजसेस महाविद्यालयों में कई वर्षों से कार्यरत प्राध्यापकों को स्थाई किया जाए। गैर शैक्षिणक पदों पर भी भर्ती की जाए।

कैंसर पीड़ित कला महाविद्यालय अलवर के सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन प्रहलाद राम बुनकर का सेवानिवृत्ति का प्रकरण अटकाया हुआ है। प्राचार्य अशोक आर्य ने मनमानी वसूली निकलवाई हुई है, इसका कड़ा संज्ञान लेकर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। खुलेआम कार्यालय समय में शराब पीकर शिक्षकों के साथ बदतमीजी करने वाले प्राचार्य अशोक कार्य को को तुरंत निलंबित कर कड़ी अनुशासनिक करवाई की जाए। इनके खिलाफ संगीन धाराओं में पुलिस थानों में अनेक मुकदमें एवं विभाग में शिकायतें दर्ज हैं आदि मांगें रखी।

प्रदेश में करीब 36 हजार निजी स्कूलों में आरटीई के प्रवेश में इस बार भी विलंब

- **फरवरी माह शुरू हो गया है मगर राज्य सरकार ने अभी तक निशुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम घोषित नहीं किया है**
- **छात्र-छात्राएं पिछले एक माह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं**

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के लगभग 36 हजार निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 1 अप्रैल से विद्यार्थियों को निशुल्क प्रवेश में संशय की स्थिति बन रही है। राज्य सरकार इस बार नया शिक्षा सत्र 2026-27 एक अप्रैल से शुरू करने जा रही है। जिसके तहत शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी निशुल्क सीटों पर होने वाले प्रवेश के लिए भी इस बार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होनी थी। फरवरी माह शुरू हो गया है मगर राज्य सरकार ने अभी तक निशुल्क प्रवेश का टाइम फ्रेम घोषित नहीं किया है। छात्र-छात्राएं पिछले एक माह से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में दिसंबर माह में राज्य सरकार को निशुल्क प्रवेश के प्रस्ताव भिजवाए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन प्रस्तावों पर मंजूरी नहीं देते हुए शिक्षा विभाग से दोबारा प्रस्ताव मांगे हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने दोबारा प्रस्ताव बना कर भेज दिए हैं। अब राज्य सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आरटीई टाइम फ्रेम घोषित किया जाएगा। उसी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी की तिथि निर्धारित की जाएगी। पिछले साल 9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का वरीयता क्रम निर्धारण किया गया। आरटीई के तहत सशुल्क बालकों के प्रवेश के आधार पर वरीयता में चयनित निशुल्क प्रवेश के अंतिम चरण का आवंटन 31 अगस्त को किया गया, जिसमें सामने आया कि 308064 अभ्यर्थियों में से 237407 को प्रदेश के 31720 स्कूलों में निशुल्क प्रवेश मिला है।

गिरिराज खैरीवाल, प्रदेश समन्वयक, प्राइवेट एजूकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोसपैरिटी एलायंस के अनुसार इस बार प्रवेश प्रक्रिया जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह से शुरू होने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं होने से पूरी व्यवस्था प्रभावित होगी और प्रवेश में भी विलंब होगा।

चंद्र किरण पंवार, आरटीई प्रभारी, प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का कहना है कि आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश को लेकर राज्य सरकार की मंजूरी के बाद आरटीई टाइम फ्रेम घोषित किया जाएगा। इस संबंध में तैयारियां चल रही है।

34 सिलेंडर जब्त

अलवर, (निसं)। रसद विभाग की टीम द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग को रोकने हेतु खेरली नगर पालिका के ईमली वाला कुआं सौंखर रोड खेरली में मनीष गैस रिफलिंग सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 34 गैस सिलेंडरों को जब्त किया। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि टीम द्वारा मौके पर मनीष गैस रिफलिंग सेंटर पर 34 गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाये गए जिन्हें जब्त कर मैसर्स देवऋषि गैस एजेंसी खेरली को सुपुर्द किए गए।

14 साल पुराने हमले के मामले में बड़ा न्यायिक मोड़ आया

- **गत 22 जनवरी को सजा सुनाई, 31 जनवरी को जिला न्यायालय से दोषमुक्त**

पावटा, (निसं)। प्रागपुरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुए हमले के चर्चित प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया ने अहम मोड़ लिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं.-2, कोटपूतली ने गत 22 जनवरी को तीन आरोपियों महेन्द्र पुत्र भैरूलाल यादव (टसकोला), राकेश पुत्र रोहिताश सिंह (ढाणी दुले सिंह, बड़नगर) एवं राजेन्द्र पुत्र रामकरण यादव (फतेहपुरा खुर्द) को धारा 323, 147, 149 व 458 आईपीसी में दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी, जबकि धारा 382 आईपीसी में दोषमुक्त किया था। मामला जून 2012 का था, जब आरोप था कि अभियुक्त आधी रात को वाहन में सवार होकर परिवादी बनवारी लाल के घर पहुंचे और बेसबॉल डंडों, लोहे की सरियों व धारदार हथियारों से परिवार पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई। घटना के बाद प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। निचली अदालत के इस निर्णय के विरुद्ध 23 जनवरी 2026 को जिला न्यायालय में अपील दायर की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए गत 31 जनवरी को अपील का निस्तारण कर दिया। सुनवाई के दौरान पाया गया कि निचली अदालत का दण्डादेश तथ्य एवं विधिक त्रुटियों से प्रभावित है। परिणामस्वरूप जिला न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इस प्रकरण में अधिवक्ता रवि शर्मा एवं प्रदीप आर्य ने प्रभावी पैरवी की। 14 वर्ष पुराने इस मामले में आए इस ताजा निर्णय ने न्यायिक प्रक्रिया की दोनों परतों को उजागर किया, जहाँ निचली अदालत ने दोषसिद्धि की, वहीं अपीलीय अदालत ने साक्ष्यों व विधिक आधार पर आरोपियों को राहत प्रदान की।

जोधपुर में बदले मौसम से राहत मिली

जोधपुर, (कासं)। शहर में अब मौसम व तापमान सामान्य बना हुआ है। बीते तीन दिन से शहर में दिन के समय धूप निकलने पर लोगों को सर्दी से राहत मिली है। आने वाले दिनों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही सर्दी का असर भी कम रहने का अनुमान है। बीते तीन चार दिन के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सप्ताह से ठंड का असर और कम होगा। वहीं मौसम भी साफ रहेगा। दिन के समय में पड़ने वाली धूप की वजह से मौसम सुहावना हो चुका है। शहर में आज सुबह की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। ऐसे में आने वाले समय में मौसम सामान्य रहने और लोगों को ठंड से राहत मिलने का अनुमान है।

गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत का आरोप

- **आरोप है कि गत 29 अक्टूबर को मेडिकल संचालक ने बिना किसी नर्सिंग स्टाफ के महिला को इंजेक्शन लगाया था**
- **परिजनों ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां मृत घोषित कर दिया था**

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले में गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि मेडिकल संचालक ने बिना किसी नर्सिंग स्टाफ के महिला को इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। घटना रायसिंहनगर थाना क्षेत्र के 9 टीके गांव में 29 अक्टूबर को हुई थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एसीजेएम कोर्ट, रायसिंहनगर में दी शिकायत में शिकायतकर्ता बलवीर सिंह निवासी 9 टीके, रायसिंहनगर ने बताया कि उनकी पत्नी बलवीरी कौर 29 अक्टूबर को खेत में काम कर रही थी। तभी उन्हें तेज बुखार आ गया। शाम करीब 4:30 बजे परिवार वाले उन्हें राजू सिंगल नर्सिंग होम के पास स्थित दीपक मेडिकल स्टोर पर ले गए। वहां मेडिकल संचालक अमित कुमार मौजूद था। अमित कुमार ने बुखार की दवा मांगने पर दवा देने के बजाय सीधे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही महिला को घबराहट होने लगी। वह मेज से उठकर चलने लगी तो वहीं गिर पड़ी। मुंह से झाग निकलने लगा और हालत बिगड़ गई। परिवार वालों ने उन्हें तुरंत ई-रिक्शा से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मौत के बाद बलवीर, उनका पुत्र काका सिंह, हरी सिंह और परिजन दीपक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। जहां अमित ने मना कर दिया कि उसने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। अमित ने कहा कि अगर महिला को इंजेक्शन लगाया है तो बिल दिखाओ या इंजेक्शन का नाम बताओ। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि इंजेक्शन का कवर नाली में फेंक दिया है और अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

कलैक्टर ने थाने का निरीक्षण किया

बाड़मेर, (नि.सं.)। जिला कलैक्टर टीना डाबी ने मंगलवार को बाड़मेर स्थित रीको थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेखों, शिकायत पंजिका, मालखाना, सीसीटीवी व्यवस्था तथा साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। जिला कलैक्टर ने थाने में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी मामलों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बालिका सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आठ मार्च को

- **प्रवेश के लिए एक सीट पर करीब 81 छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी**

बीकानेर, (निसं)। सीकर और बीकानेर में शुरू होने वाले बालिका सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए एक सीट पर करीब 81 छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी। 8 मार्च को होने वाली चयन परीक्षा के माध्यम से जिले के जयमलसर गांव में स्थित रामीदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल और सीकर के महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल में छात्राओं का प्रवेश होगा। दोनों स्कूलों में मिलाकर कक्षा छह की 160 सीटों पर छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। मेरिट के आधार पर कक्षा5 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रवेश परीक्षा के जरिए इन सीटों पर दाखिला मिलेगा।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान की ओर से राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाली बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी से 28 जनवरी तक पूरी हो चुकी है। 13 हजार बालिकाओं ने इन दोनों स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। उधर, शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाली पांचवीं कक्षा की छात्राएं जिन्होंने चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर भरे हैं। यदि आवेदन फॉर्म में परीक्षा माध्यम, जिला, स्थायी पता या जाति वर्ग से जुड़ी कोई गलती रह गई है, तो शाला दर्पण पर बालिका सैनिक स्कूल मॉड्यूल के जरिए 5 फरवरी तक सुधार कर सकेंगी।

सांवरिया सेठ जा रहे थे श्रद्धालुओं की बोलेरो और बस में टक्कर, नौ जने घायल

- **नरेना (रूपनगढ़) से सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु**

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के हजारीखेड़ा चौराहे पर एक सड़क हादसा हो गया। यहां सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की एक बोलेरो कार आगे चल रही एक निजी ट्रेवल्स बस से टकरा गई। इस दुर्घटना में नौ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना मंगलवार दोपहर करीब सवा दो बजे की है।

पुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि हजारीखेड़ा चौराहे के पास एक बस और बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार, बोलेरो में सवार सभी लोग नरेना (रूपनगढ़) के रहने वाले थे और वे सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब बोलेरो चालक ने आगे चल रही एक निजी ट्रेवल्स की बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी प्रयास में बोलेरो बस के पिछले टायर वाले हिस्से में जा घुसी। टक्कर के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को निजी साधनों की मदद से तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। इस हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं। घायलों में मधु नाम की एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों का एमजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवा दी गई है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी साधनों की मदद से महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया।

बालोतरा में धरने पर बैठे वाहन चालकों के साथ मारपीट :- बालोतरा के निकट समदड़ी थाना क्षेत्र के जेठंतरी बजरी नाके पर देर रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे वाहन संचालकों और चालकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना के बाद वाहन स्वामियों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में डम्पर चालक मौके पर एकत्र हो गए हैं।

वाहन संचालकों का आरोप है कि बजरी लीज संचालक खुलेआम नियमों की धज्जियां उडा रहे हैं। मुख्य विवाद ओवरलोडिंग और रसीद के खेल को लेकर है। रसीद में हेरफेर का आरोप है कि लीज संचालक केवल 9 टन की रसीद थमाकर वाहनों को रवाना कर रहे हैं। राजस्व का नुकसान इस अंडर-बिलिंग के खेल से सीधे तौर पर सरकार को मिलने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। अपनी इन्हीं जायज मांगों और लीज संचालक की मनमर्जी के खिलाफ वाहन संचालक नाके पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे। आरोप है कि देर रात लीज संचालक के कारिंदों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के अन्य डम्पर मालिक और चालक एकजुट हो गए और जेठंतरी बजरी नाके पर डम्पर खड़े कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में समदड़ी थाने में लिखित रिपोर्ट पेश कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चालकों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। हम नियम के अनुसार काम करना चाहते हैं, लेकिन लीज संचालक की तानाशाही और मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को इस राजस्व चोरी पर लगाम लगानी चाहिए।

पीड़ित पक्ष कपिल जाट ने कहा कि में धरना स्थल पर शान्ति से बैठा था लीज संचालक की एक गाड़ी आई उसमें मुझे बैठाया गया सुनसान रास्ते में पर पेशाब पिलाया और धक्का-मुक्की कर छोड़ दिया गया।

डाक जीवन बीमा दावे में देरी पर डाक विभाग को झटका

जोधपुर उपभोक्ता आयोग ने 15 लाख रुपये के 75 प्रतिशत भुगतान का आदेश दिया

जोधपुर, (का.सं)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर (द्वितीय पीठ) ने डाक जीवन बीमा के मृत्यु दावा निपटान में अनावश्यक देरी और लापरवाही को सेवा में स्पष्ट कमी मानते हुए डाक विभाग के विरुद्ध अहम निर्णय पारित किया है। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा एवं सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास द्वारा दिया गया।

आयोग ने अपने आदेश में डाक विभाग को निर्देश दिया कि वह परिवादी को डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत देय कुल बीमा राशि का 75 प्रतिशत अर्थात 15,00,000 45 दिनों के भीतर अदा करे। प्रकरण में परिवादी द्वारा अपनी पत्नी के निधन के पश्चात समय पर मृत्यु दावा प्रस्तुत किया गया था। परिवादी ने सभी आवश्यक चिकित्सीय, सेवा एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए, इसके बावजूद विभाग द्वारा लंबे समय तक दावा लंबित रखा गया और बार-बार अनावश्यक दस्तावेजों की माँग की जाती रही। आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि बीमा दावा प्राप्त होने के बाद सेवा प्रदाता का दायित्व है कि वह युक्तिसंगत समय सीमा में दावा स्वीकार या अस्वीकार करे। केवल विभागीय जाँच के नाम पर अनिश्चितकाल तक दावा लंबित रखना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के विपरीत है। आयोग ने यह भी कहा कि डाक जीवन बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना में विभाग की जिम्मेदारी और अधिक संवेदनशील हो जाती है तथा बिना ठोस और प्रमाणिक साक्ष्य के बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर दावा रोके रखना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आयोग ने परिवादी को मानसिक पीड़ा एवं सेवा में कमी के लिए 50,000 क्षतिपूर्ति तथा 10,000 वाद व्यय प्रदान करने का भी आदेश दिया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर देय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त संदेश देता है कि बीमा दावों में अनावश्यक देरी और उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।